

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08.2013

क्रमांक एफ 16-27/2013/बी-ग्यारह : मेसर्स एलटी फूड्स लि. द्वारा मण्डीदीप जिला रायसेन में स्थापित आधुनिक बासमती चावल मिल को मण्डी शुल्क से निरन्तर छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना को "बासमती चावल प्रसंस्करण हेतु राज्य के भीतर से खरीदे गये धान पर अतिरिक्त और 5 वर्षों के लिये इकाई में किये गये स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा तक पात्रतानुसार मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जावे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
भोपाल, दिनांक 08-08.2013

परु क्रमांक एफ 16-27/2013/बी-ग्यारह,  
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
6. कलेक्टर, रायसेन।
7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
8. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप।
10. श्री विजय अरोरा, अध्यक्ष, मेसर्स एलटी फूड्स लि., प्लॉट नं. 119, सेक्टर 44, (इन्स्टीट्यूशनल एरिया) गुडगांव, हरियाणा- 122002  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

JE  
PCHG  
5.8.2013

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग